

श्री डॉ० अजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-1/213/13
का उत्तर प्रतिवेदन:-

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के निर्गली प्रखंड के कुनौली पंचायत में स्थित सीमा सुरक्षा बाँध क्षतिग्रस्त है; (ख) क्या यह सही है कि बरसात में कुनौली, कमलपुर और गमास पंचायत पर बाढ़ का खतरा बना रहता है; (ग) क्या यह सही है कि नेपाल प्रक्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में कुनौली में प्रवेश करने वाली नदियों के मुहाने पर सिल्टेशन के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलप्लावित होती है; (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु अपेक्षित कदम उठाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत सीमा सुरक्षा बाँध सुपौल जिले के निर्गली प्रखंड के कुनौली पंचायत (भारतीय प्रभाग) में स्थित न होकर भारत नेपाल सीमा के समीप नो मेन्स लैंड में एक तटबंधनुमा संरचना है । जीता धार पश्चिमी कोशी तटबंध के निकट भारत-नेपाल सीमा पर नो मेन्स लैंड में लगभग दो कि०मी० की लम्बाई में प्रवाहित होते हुए खाण्डो नदी में मिलती है, जिसके पश्चात् दोनों धाराएँ संयुक्त रूप से भारतीय प्रभाग में प्रवेश करती हैं। उक्त लम्बाई में जीता धार के एक ओर महेन्द्र राजमार्ग है एवं दूसरी ओर तटबंधनुमा संरचना है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा सीमा सुरक्षा बाँध कहा जाता है । नेपाल क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली खाण्डो नदी एवं जीता धार में सिल्टेशन एवं प्राकृतिक जल प्रवाह में अवरोध के कारण जल निकासी प्रभावित होती है, जिससे कुनौली, कमलपुर और उगमारा पंचायत पर बाढ़ का खतरा बना रहता है एवं आसपास के क्षेत्रों एवं कृषि योग्य भूमि में जलप्लावन की समस्या उत्पन्न होती है। अंतरराष्ट्रीय मामला होने के दृष्टिगत प्रश्नगत समस्या के समाधान हेतु भारत-नेपाल की संयुक्त बाढ़ एवं जलप्लावन प्रबंधन समिति (जे०सी०आई०एफ०एम०) के सब-ग्रुप द्वारा मार्च, 2025 में दिए गए सुझावों के अनुपालन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसे अगले माह में निर्धारित जे०सी०आई०एफ०एम० की पंद्रहवीं बैठक में उपस्थापित किया जाना है । संयुक्त समिति के उक्त बैठक के निर्णयानुसार परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(वी0)-06-26/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 213वें सत्र से प्राप्त ताराकित प्रश्न सं0-01/213/13 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(वी0)-06-26/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(वी0)-06-26/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(वी0)-06-26/2026-

4020

पटना, दिनांक-09/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/08/26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव
08/09/26